न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 63/14 जी.सी.एम.एस. 2014/00447 दिनांक 16.04.2021

1. केशरीलाल पुत्र बाल्या जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा तहसील कनवास।
2. रघुनाथ पुत्र बाल्या जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा तहसील कनवास मृतक जर्ये कायम मुकाम
   2(1). हेमराज पुत्र रघुनाथ जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा ।
   2(2.) राजेश कुमार पुत्र रघुनाथ जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा ।
   2(3.) तस्वीरबाई पुत्री रघुनाथ पत्नि दयाराम जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा हाल निवास जालिमपुरा तहसील कनवास।
   2(4.) केसरबाई पत्नि रघुनाथ जाति चमार (बैरवा) निवासी पानाहेडा ।
3. रामचन्द्री पुत्री बाल्या पत्नि ओंकारजी जाति चमार(बैरवा) निवासी पानाहेडा हाल निवासी मकाडावद तहसील सांगोद।

—वादीगण—

बनाम

1. गंगाराम पुत्र बाल्या जाति चमार निवासी पानाहेडा तहसील कनवास मृतक जर्ये कायममुकामः—
   1(1). रामगोपाल पुत्र गंगाराम।
   1(2). भूरालाल पुत्र गंगाराम।
   1(3). तेजपाल पुत्र गंगाराम।
   1(4). गोविन्द पुत्र गंगाराम।
   1(5). मूर्तिबाई पुत्री गंगाराम।
   1(6). गुडीबाई पुत्री गंगाराम।
   1(7). भूलीबाई पत्नि गंगाराम जातियान चमार निवासीगण पानाहेडा तहसील कनवास।
2. धन्नालाल पुत्र बाल्या जाति चमार निवासी पानाहेडा तहसील कनवास।
3. राधाकिशन पुत्र बाल्या जाति चमार निवासी पानाहेडा तहसील कनवास।
4. सीताबाई पत्नि बाल्या जाति चमार निवासी पानाहेडा (मृतक नाम डिलीट)।
5. बद्री पुत्री बाल्या पत्नि मांगीलाल जाति चमार निवासी पानाहेडा।
6. धन्नी पुत्री बाल्या पत्नि पांचू जाति चमार निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा कोटा।
7. पारवती पुत्री बाल्या पत्नि छोटू चमार निवासी झाड आमली तहसील कनवास।
8. शान्ति पुत्री बाल्या पत्नि गजानंद जाति चमार निवासी बाछीहेडा तहसील कनवास।
9. नटी पुत्री बाल्या पत्नि गोपाल जाति चमार निवासी गोविंदनगर कोटा।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 बाबात खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित —

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादी नबंर 01 व 09 के विरूद्व एकतरफा
प्रतिवादी 10 राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों अलग–अलग वंशज के हैं, परन्तु पिता का नाम जाति व निवास स्थान एक जैसे हैं, वादीगण व प्रतिवादीगण का संजरा वंशज निम्न प्रकार है।

वादीगण का सजरा

<u>बाल्या पुत्र गोप्या जाति चमार</u>

केसरीलाल (पुत्र) | रघुनाथ (पुत्र) | रामचन्द्री (पुत्री)

प्रतिवादीगण का सजरा

बाल्या पुत्र नंदा जाति चमार

1. गंगाराम (पुत्र)	1. बद्री (पुत्री)	1. सीताबाई (पत्नि)
2. धन्नालाल (पुत्र)	2. धन्नी (पुत्री)	
3. राधाकिशन (पुत्र)	3. पारबती (पुत्री)	
	4 शांती (पुत्री)	
	5 नटी (पुत्री)	

यह वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण बाल्या पुत्र गोप्या जाति चमार निवासी पानाहेडा की संतान हैं, तथा प्रतिवादीगण बाल्या पुत्र नंदा जाति चमार निवासी पानाहेडा की संतान हैं, वादीगण के पिता बाल्या पुत्र गोप्या जाति चमार निवासी पानाहेडा के खाते में खसरा नबंर 309 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित थी, जिसके सेटलमेंट 2058 के बादे नये खसरा नबंर 392 रकबा 0.28 है0, दर्ज किये गये, वादीगण ने 2051 से 54 ग्राम पानाहेडा की खाता संख्या 66 की नकल पेश की है, वादीगण के पिता बाल्या पुत्र गोप्या फोत हो जाने पर उनका फोती इन्तकाल बाल्या पुत्र नंदा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण से कोई रिश्ता नहीं है। उक्त त्रृटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बाल्या पुत्र गोप्या जाति चमार निवासी पानाहेडा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के फोती इन्तकाल दर्ज न कर सहवन से बाल्या पुत्र नंदा जाति चमार निवासी पानाहेडा के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिये वादीगण ने यह दावा इन्द्राज दुरूस्त कर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित कर ग्राम पानाहेडा की खसरा नबंर 392 की 0.28 है0, आराजी पर से प्रतिवादीगण का नाम डिलीट कर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादीगण का नाम दर्ज कराने हेतु एवं ग्राम पानाहेडा के नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 18.05.2000 जो प्रतिवादीगण के नाम तस्दीक किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 09 के विरूद्व दिनांक 15.03.2017 एवं 13.07.2017 एवं 25.02.2020 का एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी नबंर 02 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के कायम मुकाम बनाये गये तथा प्रतिवादी नबंर 01 गंगाराम की मृत्यु होने पर उसके भी वारिसान कायम मुकाम किये गये। संशोधित टाईटल दिनांक 15.12.2020 को पेश हुआ। प्रतिवादी नबंर 10 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 16.04.2021 को जवाब लिखित में पेश कर वादी के वाद को कोई खण्डन व विरोध नहीं किया जाकर वाद पत्र के मद नबरं 03 व 04 में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया तथा वादीगण को भूमि पर कब्जे काश्त होना बताया। प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत न होने पर तथा प्रतिवादी नबंर 10 की ओर से वाद पत्र वर्णित तथ्यों को सही व सत्य होना स्वीकार करने पर वाद में कोई तनकीयात कायम किया जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई, इन्तकाल नबंर 406 दिनांक 18.05.2000 तथा नकल जमाबंदी ग्राम पानाहेडा सम्वत् 2051 से 54, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058 से 2077, ग्राम पानाहेडा की नकल जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 खाता संख्या नई 19 एवं जमाबंदी ग्राम आंवा सम्वत 2061 से 64 खाता संख्या 17 का अवलोकन किया गया। सभी के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा वादीगण के पिता बाल्या पुत्र गोप्या का फोतीइंतकाल उसके वारिसान के नाम न खोला जाकर सहवन से बाल्या पुत्र नंदा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसे इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर ग्राम पानाहेडा की खसरा नबंर 392 की 0.28 है0, आराजी पर से प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना तथा वादीगण को खसरा नबंर 392 की 0.28 है0, का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 18.05.2000 ग्राम पानाहेडा को निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पानाहेडा की खसरा नबंर 392 की 0.28 है0, आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम पानाहेडा की उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम खोले गये इन्तकाल संख्या 406 दिनांक 18.05.2000 को निरस्त किया जाता है, तथा ग्राम पानाहेडा की खसरा नबंर 392 की 0.28 है0, आराजी में दर्ज प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 09 के नाम डिलीट किया जाकर उनके स्थान पर वादी नबंर 01

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला बारां (राज०)

केसरीलाल हिस्सा 1/3, वादीनबंर 02 मृतक रघुनाथ के वारिसान हेमराज (पुत्र), राजेश कुमार (पुत्र), तस्वीरबाई (पुत्री), केसरीबाई (पत्नि) हिस्सा 1/3, तथा वादी नबंर 03 रामचन्द्री पुत्री बाल्या हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डोगा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास